प्र.सं. 14/2021 श्रीमती पतासीबाई बनाम श्रीमती रूकमणीबाई व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.10.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कूंथवास में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजीयात कुल किता 11 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा स्थित हैं, जो राजस्व रेकार्ड में वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज होकर पक्षकारान हिस्से अनुसार काबिज हैं, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के कब्जे का त में दखलन्दाजी करते हैं। विवादित आराजियात का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः वादग्रस्त आराजियात का पक्षकारान के मध्य माफिक हिस्से एवं कब्जे अनुसार विभाजन किया जाकर वादीगण के नाम स्वतंत्र खाते में दर्ज करायी जावे। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण मुझ प्रतिवादी के हिस्से में आने वाली भूमि में आने जाने के रास्ते की भूमि को रास्ते के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे तो प्रतिवादी को मौके पर काबिज एवं जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनकर वादीगण का वाद स्वीकार कर दिनांक 19.05.2014 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की तत्प चात् दिनांक 21.06.2016 को प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 01.03.2021 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री नरे ा जणवा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमले ा चौहान उपस्थित हुए। भोश रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय डिक्री की जा[illegible] उन्हें प्र[illegible] दिनांक 12.01.2021 को नकल प्राप्त करने से हुई। जा[illegible]कर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील मियाद में शामिल की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:21:26 IST
Reason: SelfAttested

प्र.सं. 14/2021 श्रीमती पतासीबाई बनाम श्रीमती रूकमणीबाई व अन्य

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट विवादित आराजीयात कुल किता 11 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा के 1/2 की खातेदार है। बंटवारानामें पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। राजस्व कैम्प में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय कर दिया या। अंतिम डिक्री में अपीलान्ट को नहीं सुना गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रारम्भिक डिक्री पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर हैं। पत्थरगढ़ी भी हो चुकी है, पत्थरगढ़ी अपीलान्ट की उपस्थिति में की गयी। सहमति से बंटवारा हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि अपीलान्ट विवादित आराजियात 1/2 हिस्से के रेकार्डेड खातेदार हैं। अंतिम डिक्री राजस्व कैम्प में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में जारी की गयी है, जिससे स्पश्ट है कि अंतिम डिक्री जारी करते समय अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण सं. 106/2013 निर्णय दिनांक 21.06.2016 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.11.2021 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.11.16 12:41:26 IST
Reason: SelfAttested

(एम. एल. चौहान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर